पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 120/2019

अनवान :

1. जयप्रकाश पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. देवकरण पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
2. राजेशकुमार पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
3. कमला पत्नी देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
4. शारदा पुत्री देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
5. सुनीता पुत्री देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
6. सविता पुत्री देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
7. एचडीएफसी शाखा अग्रोहा जिला हिसार जरिऐ शाखा प्रबन्धक शाखा अग्रोहा जिला हिसार।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 सीएचएन के वर्तमान खाता सं0 42/41 के मु0नं0 48 के किला नं0 3/1, 3/2, 4 व 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 13 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 49 के किला नं0 3 कुल किता 21 की 4.3770 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी देवकरण के नाम से खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 देवकरण का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 पांचों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादिया सं0 6 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चक 6 एएमएस के खाता सं0 65/65 व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 140 की कृषि भूमि प्रतिवादी देवकरण के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30·07·2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

30·7·19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 120/2019

अनवान :

1. जयप्रकाश पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. देवकरण पुत्र श्योदत जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
2. राजेशकुमार पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
3. कमला पत्नी देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
4. शारदा पुत्री देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
5. सुनीता पुत्री देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
6. सविता पुत्री देवकरण जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
7. एचडीएफसी शाखा अग्रोहा जिला हिसार जरिऐ शाखा प्रबन्धक शाखा अग्रोहा जिला हिसार।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादी
वकील श्री विक्रम शर्मा : प्रतिवादी सं0 1 ता 6

निर्णय **दिनांक :** 30.07.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 सीएचएन के वर्तमान खाता सं0 42/41 के मु0नं0 48 के किला नं0 3/1, 3/2, 4 व 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 13 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 49 के किला नं0 3 कुल किता 21 की 4.377 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी देवकरण के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 हिन्दू है व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम व हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के परदादा मामचन्द की हुआ करती थी। इस प्रकार वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि

30.7.19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

है। वाद भूमि की बाब पक्षकारान का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो चुका है। चक 6 सीएचएन की वाद भूमि में प्रतिवादीया सं0 6 सविता ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया है। चक 6 एएमएस के खाता सं0 65/65 की 2.530 है0 में प्रतिवादी देवकरण के हिस्सा में 1/2 हिस्सा व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 140 की 4.554 है0 में दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि आई।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 ने जबाबदावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी कमला के पास अलग से कोई स्त्रीधन नहीं है वादभूमि में प्रतिवादी सविता ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था। प्रतिवादी सं0 1 के हिस्सा में चक 6 एएमएस के खाता सं0 65/65 व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 140 की कृषि भूमि आई है।

साक्ष्य वादी में जयप्रकाश पुत्र देवकरण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 सीएचएन के खाता सं0 42/41 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग चक 6 छानी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाऐ।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसकी बाबत पक्षकारान में पारिवारिक सैटलमेन्ट हो चुका है। प्रतिवादीया सविता ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के पक्ष में त्याग दिया है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक की वादी की बहस पर मनन किया। हस्तगत वाद वादी ने चक 6सीएचएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना अंकित है जिसकी पुष्टि प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग चक 6 छानी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के पड़दादा मामचन्द के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में देवकरण के वारिसान में पत्नि कमला, तीन पुत्रियां सविता, शारदा, सुनीता व दो पुत्र राजेश कुमार, जयप्रकाश होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब में प्रतिवादी सं0 6 सविता द्वारा अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क करना व प्रतिवादी सं0 1 के हिस्सा में चक 6 एएमएस के खाता सं0 65/65 व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 140 की भूमि प्रतिवादी देवकरण के हिस्सा में आना जाहिर किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

30.7.19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 सीएचएन के वर्तमान खाता सं0 42/41 के मु0नं0 48 के किला नं0 3/1, 3/2, 4 व 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 13 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 49 के किला नं0 3 कुल किता 21 की 4.3770 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी देवकरण के नाम से खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 देवकरण का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 पांचों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादिया सं0 6 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चक 6 एएमएस के खाता सं0 65/65 व चक 4 जेएसएल के खाता सं0 140 की कृषि भूमि प्रतिवादी देवकरण के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़